समाहरणालय, खगड़िया
(मद्य निषेध शाखा)

बिहार मद्य–निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के तहत राज्यसात किये गये वाहनों की नीलामी की आम सूचना संख्या–(03/2020–21)

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वैसे वाहन जिन्हें मद्य–निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–58 के तहत मद्य निषेध विभाग एवं थाना द्वारा जप्त किया तथा समाहर्त्ता–सह–जिला दंडाधिकारी, खगड़िया द्वारा राज्यसात किया गया है, की जंग लग कर खराब होने, क्षरण होने से राष्ट्रीय क्षति की संभावना है। ऐसे निम्नलिखित वाहन जो जिला के विभिन्न थाना/उत्पाद मालखाना में संचित हैं, की "जहाँ है जैसा है" के आधार पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा समाहरणालय सभा कक्ष में दिनांक–04.03.2021 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में नीलामी की जाएगी। वाहनों का विवरण निम्न तालिका में अंकित है :–

क्र0	वाहन का प्रकार	वाहन निबंधन संख्या	अधिहरण वाद संख्या	न्यूनतम निर्धारित मूल्य	रक्षित मूल्य	संचय स्थल	निर्धारित तिथि
1.	मोटरसाईकिल	BR09J-3914	80/18-19	10000	1000	अलौली थाना	04.03 .2021
2.	मोटरसाईकिल	BR34A-9949	01/16-17	12000	1200	खगड़िया थाना	
3.	मोटरसाईकिल	chechis-OIL20F26480	121/17-18	3000	300	खगड़िया थाना	
4.	मोटरसाईकिल	chechis-MELRG4516H0013533	135/17-18	15000	1500	खगड़िया थाना	
5.	सुजुकी कार	BR09R-9998	39/18-19	25000	2500	खगड़िया थाना	
6.	हुंडई सेन्ट्रो	WB02P-8762	39/18-19	55000	5500	खगड़िया थाना	
7.	मोटरसाईकिल	BR34K-0192	102/17-18	13000	1300	खगड़िया थाना	
8	इंडिका	DL3CAX-5134	02/17-18	60000	6000	खगड़िया थाना	
9	टेम्पू	BR34P-2844	24/17-18	110000	11000	चौथम थाना	
10	मोटरसाईकिल	BR34-0622	365/18-19	7000	700	चौथम थाना	
11	नाव	नाव	439/18-19	15000	1500	परबत्ता थाना	
12	मोटरसाईकिल	BR34C-6214	503/18-19	18000	1800	पसराहा थाना	
13	स्कार्पियो	HR26AI-2825	182/17-18	245000	24500	बेलदौर थाना	
14	सुमो विक्टा	WB34Q-0337	003/18-19	80000	8000	महेशखूंट थाना	
15	रिक्शा	OLD	79/18-19	10000	1000	महेशखूंट थाना	
16	बोलेरो पिकअप	BR19B-4699	10/18-19	215000	21500	महेशखूंट थाना	
17	मैजिक वैन	BR11L-6513	457/19-20	70000	7000	महेशखूंट थाना	
18	स्वीफ्ट डिजायर	chechis-MA3EJKDIS00885105XAG	82/17-18	275000	27500	मानसी थाना	
19	टेम्पू	chechis-MCS3EAP21KAA11481	91/18-19	115000	11500	मानसी थाना	
20	ई–रिक्शा	OLD	30/18-19	15000	1500	मानसी थाना	
21	बोलेरो	JH18A-2285	90/18-19	210000	21000	मानसी थाना	
22	ई–रिक्शा	NOT AVAILABLE	157/17-18	20000	2000	मोरकाही थाना	

निलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति निर्धारित स्थल, तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते है। नीलामी हेतु निम्न शर्तें निर्धारित की जाती है–

1. कोई भी इच्छुक व्यक्ति सूचीबद्ध सभी वाहनों के लिए आवेदन कर सकेंगे। परन्तु सभी वाहनों के लिए अलग–अलग आवेदन तथा सुरक्षित जमा की राशि आवेदक को जमा करनी होगी।
2. न्यूनतम निर्धारित मूल्ल (MFP) से कम की बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी।
3. वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया बारी–बारी से की जाएगी अर्थात एक वाहन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ही दूसरे वाहन की नीलामी की जाएगी।
4. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को वाहन के न्यूनतम मूल्य का 10 प्रतिशत सुरक्षित राशि जमा करने के पश्चात् ही नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। प्रति वाहन अलग–अलग सुरक्षित राशि को बैंक ड्राफ्ट अथवा नाजरी रसीद के द्वारा नीलामी की तिथि के पूर्व जमा करना होगा। नीलामी के असफल व्यक्तियों को नीलामी की प्रक्रिया खत्म होने के पश्चात् सुरक्षित जमा राशि वापस कर दिया जाएगा।
5. आवेदन सीधे कार्यालय में नीलामी की तिथि से पूर्व कार्य दिवस तक सुरक्षित राशि के साथ जमा किये जा सकते है। आवेदन का प्रपत्र जिला के वेबसाईट khagaria.nic.in से डाउनलोड कर वांछित दस्तावेजों के साथ ऑनलाईन आवेदन Email ID-khagaria-excise@nic.in पर भी नीलामी की तिथि से पूर्व कार्य दिवस तक प्रेषित किया जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन की स्थिति में सुरक्षित राशि का बैंक ड्राफ्ट नीलामी की तिथि से एक दिन पूर्व अवश्य ही कार्यालय में जमा कर दिया जायगा अन्यथा उनका आवेदन निरस्त करते हुए शेष आवेदकों के साथ नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण कर दी जाएगी।
6. नीलामी की प्रक्रिया में सफल व्यक्ति को वाहन प्राप्त करने के लिए पुलिस अधीक्षक स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही आधार कार्ड एवं पैन कार्ड मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।

7. नीलामी के दौरान उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को उसी समय बोली की राशि एक ही किस्त में नगद जमा करनी होगी। इसमें विफल होने पर द्वितीय/अगले उच्चतम बोली वाले व्यक्ति को सफल अंतिम व्यक्ति माना जाएगा।
8. नीलामी में सफल क्रेता को नियमानुकूल सभी देय करों का भुगतान करना होगा।
9. उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति के द्वारा राशि एकमुश्त जमा करने में विफल होने की स्थिति में उनकी सुरक्षित राशि जप्त कर ली जाएगी। इसके निर्णय हेतु नीलामीकर्त्ता का निर्णय अंतिम होगा।
10. यह माना जाएगा कि भाग लेने वाले व्यक्ति के द्वारा नीलामी से पहले वाहन का पूर्ण निरीक्षण कर संतुष्ट हो लिया गया है। वाहन सौंप देने के उपरांत नीलामीकर्त्ता वाहन संबंधी किसी भी प्रकार के दोष अथवा शिकायत के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
11. नीलामी की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के नियोजित/सरकारी कर्मी भाग नहीं लेगे।
12. सफल बोलीदाता को अपने प्रयोजन के लिए वाहन प्राप्त कर लेने पर नियमों के अनुसार अपनी लागत और जिम्मेदारी पर अपने नाम पर वाहन हस्तांतरित कराना होगा। नीलामीकर्त्ता वाहनों के पंजीकरण के लिए किसी भी तरह से संबंधित या जिम्मेदार नहीं होगा, और सफल व्यक्ति को वाहन सौंपने के उपरांत इसके किसी भी बिन्दु के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
13. अपने विवेक से बिना कारण बताए किसी भी समय नीलामी की प्रक्रिया रोकने/किसी वाहन अथवा सभी वाहनों की बोली को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का निर्णय नीलामीकर्त्ता सुरक्षित रखता है, तथा यह निर्णय अंतिम होगा।
14. संबंधित वाहन के सम्बन्ध में मान्नीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य सक्षम न्यायालय से प्राप्त किसी आदेश की सूचना नीलामी की निर्धारित तिथि से पूर्व दिवस तक विधि प्रशाखा, समारणालय, खगड़िया/ कार्यालय, अधीक्षक मद्य निषेध, खगड़िया को दे दिए जाने पर ही उसकी नीलामी रोकने से सम्बन्धित आवश्यक निर्णय लिया जा सकेगा। नीलामी की तिथि अथवा उसके पश्चात् प्राप्त कोई भी दावा अमान्य होगा तथा उस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा।

किसी भी कार्य दिवस में वाहन का भौतिक अवलोकन संबंधित संचय स्थल में किया जा सकता है, तथा विस्तृत जानकारी हेतु अधीक्षक, मद्य निषेध, खगड़िया के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है अथवा **khagaria.nic.in** पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

समाहर्त्ता–सह–जिला दंडाधिकारी,
खगड़िया।

ज्ञापांक ....92.... /म० नि० ,खगड़िया , दिनांक....12.02.2021

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, **खगड़िया** को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला नजारत उप समाहर्त्ता, **खगड़िया** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु **प्रेषित** ।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आयुक्त, **मुंगेर** प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

समाहर्त्ता–सह–जिला दंडाधिकारी,
खगड़िया ।